



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या

1/2020-21

दिनांक 05-09-2020

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 01-10-2020 आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 05-10-2020

आवश्यक: (1) "अपूर्ण आन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।" (2) "किसी भी स्तर पर परीक्षणोंपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।"

विशेष सूचना :- (क) "बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थीयों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' बटन का Click करना आवश्यक है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशी भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।" (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थीयों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएस द्वारा दिये जायेंगे।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों के लिये

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु "आन-लाइन आवेदन पद्धति" (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थीयों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1- आयोग की <http://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें "आनलाइन आवेदन पद्धति" लागू है। User Instruction में अभ्यर्थीयों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु "APPLY" पर Click करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम चरण - APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात Submit बटन पर Click करने से

पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात रकीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODS. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन-लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन-लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं

को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-निर्देशनानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुसूचित स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- आवेदन शुल्क : आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशी भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।

3- आवेदन शुल्क : आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क से कम अथवा अधिक जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

1-अनारक्षित (सामान्य) - परीक्षा शुल्क ₹० ८०/- - आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹० २५/- - योग कुल ₹० १०५/-

2-अन्य पिछड़ा वर्ग - परीक्षा शुल्क ₹० ८०/- - आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹० २५/- - योग कुल ₹० १०५/-

3-अनुसूचित जाति - परीक्षा शुल्क ₹० ४०/- - आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹० २५/- - योग कुल ₹० ६५/-

4-अनुसूचित जनजाति - परीक्षा शुल्क ₹० ४०/- - आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹० २५/- - योग कुल ₹० ६५/-

5-विकलांग श्रेणी - परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹० २५/- - योग कुल ₹० २५/-

6-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित - क्रमांक १ से ४ तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

7-भूतपूर्व सैनिक - परीक्षा शुल्क ₹० ४०/- - आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹० २५/- - योग कुल ₹० ६५/-

8-महिला - क्रमांक १ से ४ तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3-अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4- सबमिट (Submit) किये गये आवेदन में संशोधन:- आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटी का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, श्रेणी, उपश्रेणी एवं सामान्य निवास (Domicile) को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटी करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थीयों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

"अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को विलक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button विलक करना होगा, जिसके पश्चात 'Authentication through' में तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे, यथा Registered Mobile, Registered e-mail ID तथा OTP (One Time Password) उक्त तीनों विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा जिस विकल्प हेतु चयन किया जाता है, उससे सम्बन्धित सूचना अंकित करने हेतु Option Box प्रदर्शित होगा, जिसमें वांछित सूचना अंकित करने के पश्चात 'Proceed' बटन को विलक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथारथान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थीयों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल

रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-03 : सहायक आचार्य (रेडियोडायग्नोसिस) (क) एम0डी० (रेडियोडायग्नोसिस)/एम0डी० (रेडियोलॉजी) अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-04 : सहायक आचार्य (सामान्य सर्जरी) (क) एम0एस० (सर्जरी)/एम0एस० (सामान्य सर्जरी) अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-05 : सहायक आचार्य (एनेस्थीसियोलॉजी) (क) एम0डी०(एनेस्थीसियोलॉजी)/एम0एस० (एनेस्थीसियोलॉजी) अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-06 : सहायक आचार्य (कार्डियोलॉजी)- डी०एम० (कार्डियोलॉजी) अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-07 : सहायक आचार्य (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी)- डी०एम० (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी)/एम0डी० (मेडिसिन) अथवा एम0डी० पीडियाट्रिक्स के साथ गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-08 : सहायक आचार्य (नेफ्रोलॉजी)- डी०एम० (नेफ्रोलॉजी) अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-09 : सहायक आचार्य (थोरेसिक सर्जरी)- एम0सी०एच० (सी०वी०टी०एस०)/एम0सी०एच० (थोरेसिक सर्जरी)/एम0सी०एच० (वस्कुलर सर्जरी) अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-10 : सहायक आचार्य (फिजिसिस्ट)- एम0एस०सी० (भौतिक विज्ञान) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भारा इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च सेन्टर से रेडिएशन फिजिक्स में डिप्लोमा अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। अधिमानी:- पी०एच०डी० की उपाधि। क्र.सं.-11 : सहायक आचार्य (न्यूरोलॉजी)- डी०एम० (न्यूरोलॉजी) अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-12 : सहायक आचार्य (बायोकेमिस्ट्री) (क) M.D. (Biochemistry)/M.B.B.S. with M.Sc. (Med. Biochemistry)/M.Sc. (Med. Biochemistry) with Ph.D. (Med. Biochemistry)/M.Sc. (Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry) अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। क्र.सं.-13 : सहायक आचार्य (प्लास्टिक सर्जरी)- एम0सी०एच० (प्लास्टिक रीकन्स्ट्रूक्टिव सर्जरी)/एम0सी०एच० (प्लास्टिक सर्जरी) अथवा एम0सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।

किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनावेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भाता देय होगा। नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में 30प्र० के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। नोट न०-1 :- मेडिकल संस्थान अधिनियम-1998 के तालिका-1 में वर्णित समस्त विशिष्टाओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित, अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009 और 15.12.2009 में उल्लिखित है, के “शैक्षिक योग्यता” में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाये:- “डी०एन०बी० (संबंधित विशिष्टता)” चिकित्सा संस्थान अधिनियम-1998 में शिक्षकों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता में निम्नलिखित अतिरिक्त/संशोधनों/विलोपन/प्रतिस्थान होंगे। धारा-4 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:- मेडिकल संस्थान अधिनियम-1998 के तालिका-1 तथा तालिका-2 में वर्णित समस्त विशिष्टाओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009 और 03.11.2010 में उल्लिखित है, के “शैक्षिक योग्यता” में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाये:- “डी०एन०बी० (ब्राड/सुपर स्पेशलिटी)” नोट न०- 2 :- (1) एम0सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम0डी०/एम0एस० की उपाधि। “किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में संबंधित विषय में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव।” (2) एम0सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी०एन०बी० योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ कोई एम0डी०/एस०एस० पाठ्यक्रम नहीं चल रहे हैं :- “डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करते समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव धारित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से संबंधित विषय में एक वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक/शोध अनुभव की आवश्यकता होगी।” (3) एम0सी०आई० से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी०एन०बी० अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ एम0डी०/एम0एस० कोर्स चल रहे हैं:- डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करते समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव धारित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को एम0सी०आई० उपाधि प्राप्त करते समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को एम0सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/केन्द्रीय संस्थान में सीनियर रेजीडेन्ट/रिसर्च एसोसिएट (सी०एस०आई०आर०) के रूप में 02 वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक अनुभव

की आवश्यकता होगी।” एम0सी०आई० के अलावा अन्य केन्द्रों से डी०एन०बी० योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीयों के लिए संबंधित अभ्यर्थीयों को इन्डेंस जर्नल में (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रथम/द्वितीय लेखक के रूप में) कम से कम 02 प्रकाशन (स्वीकार/प्रकाशित) होना चाहिए। किसी मामले में यदि संबंधित अभ्यर्थी के पास आवश्यक प्रकाशन में स्नातकोत्तर उपाधि के समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव होना आवश्यक है। नोट न०-3 :- (1) एम0सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम0डी०/एम0एस० उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थीयों के लिए- (1) किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि के समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (2) डी०एन०बी० ब्राड स्पेशलिटी के साथ एम0डी०/एम0एस० तथा डी०एन०बी० (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी०एन०बी०/एम0सी०एच० की समकक्षता के संबंध में:- (क) जिन अभ्यर्थीयों ने डी०एन०बी० प्रशिक्षण किसी संस्थान से प्राप्त किया है तथा वहाँ एम0सी०आई० से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि के समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (3) जिन अभ्यर्थीयों ने डी०एन०बी० प्रशिक्षण कम से कम 500 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी शैक्षिक अस्पताल से किया हो, तथा वह संस्थान विभिन्न स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशलिटी शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो, जिसमें 03 में कम से कम एक डी०एन०बी० पर्यवेक्षक (अध्यापक) अर्ह होंगे जो एम0सी०आई० मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर अर्हता धारित किये हों तथा शेष बचे हुये 02 में से एक को स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में एम0सी०आई० के अनुसार निम्नवत् अर्हता धारित करनी चाहिए।

स्नातकोत्तर ब्राड स्पेशलिटी को (30 बेड प्रति यूनिट) 50% बेड स्नातकोत्तर उपाधि एम0सी०आई० मान्यता प्राप्त अर्हता के समकक्ष होंगी।

(3) डी०एम०/एम०सी०एच० के साथ एम0डी०/एम0एस० और डी०एन०बी० (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी०एन०बी० (ब्राड स्पेशलिटी) की योग्यता के लिए-एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण। जिन अभ्यर्थीयों ने उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अन्य अस्पताल/संस्थान में डी०एन०बी० प्रशिक्षण (दोनों ब्राड स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी) प्राप्त किये हैं वे एक वर्ष अतिरिक्त सीनियर रेजीडेन्ट या समकक्ष प्रशिक्षण या शोध कार्य से एम0सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान से अर्हता धारित किया हो बशर्ते कि एसी अर्हता धारित करने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण। जिन अभ्यर्थीयों ने उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अन्य अस्पताल/संस्थान में डी०एन०बी० प्रशिक्षण (दोनों ब्राड स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी०एन०बी० (ब्राड स्पेशलिटी) की योग्यता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण। जिन अभ्यर्थीयों ने उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अन्य अस्पताल/संस्थान में डी०एन०बी० प्रशिक्षण (दोनों ब्राड स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी०एन०बी० (ब्राड स्पेशलिटी) की योग्यता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त प्रश

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, ३०प्र०

०८ (आठ) पद सहायक नियोजक, आरक्षण- ०२ पद उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित तथा ०६ पद अनारक्षित (सामान्य चयन), क्षेत्रिज आरक्षण- ०१ पद उत्तर प्रदेश की महिलाओं हेतु क्षेत्रिज रूप से आरक्षित है, विभाग संख्या- एस-१०/१, पद का स्वरूप- राजपत्रित/०५ पद स्थायी व ०३ पद अस्थायी, वेतनमान- वेतन बैण्ड - ३, रु० १५६००-३९१०/- एवं ग्रेड वेतन रु० ५४००/-, पेंशन- नई पेंशन योजना- २००५ के अनुसार, अनिवार्य अर्हताएं- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या निम्नलिखित संस्थाओं में से कम से कम एक संस्था की सहयुक्त सदस्यता (एसोसिएट मेम्बरशिप) (क) इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया), (ख) अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, (ग) इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (लन्दन) या समकक्ष अर्हताएं जो इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया, लंदन, अमेरिका द्वारा उसकी सदस्यता के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो। अधिमानी अर्हताएं- उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा जिन्होंने वास्तुविद या सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता धारित की हो। इसके अतिरिक्त अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को रीढ़ी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिससे (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा- २१ से ४० वर्ष अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट।

३०प्र० जिला पंचायत (केन्द्रीय संक्राम्य) संवर्ग

०४ (चार) पद अभियन्ता जिला पंचायत, (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- स्थायी, अराजपत्रित/पेंशन शासकीय नीति के अनुसार, परिवीक्षा की अवधि- एक वर्ष है, आरक्षण- एक पद अनारक्षित, एक पद ३०प्र० के अनुसूचित जाति एवं दो पद ३०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित, विभाग संख्या- सेवा-१०/२, वेतनमान- १५६००-३९, १००/-, ग्रेड पे- ५४००/-, वेतन बैण्ड-२, अर्हताएं- १. पहले के थामसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रूड़ीकी से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। या २. भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था की या ऐसी अन्य संस्था या विश्वविद्यालय की जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता दी जाय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। या ३. सिविल इंजीनियरिंग में या तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) या इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स (इंग्लैण्ड) के एसोसिएट मेम्बरशिप इक्जामिनेशन के सेक्शन 'ए', 'बी' और "सी" में उत्तीर्ण होना चाहिए। या ४. सिविल इंजीनियरिंग में सीटी एण्ड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट (इम्प्रीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी) साउथ कैनिंगस्टन की एसोसिएट मेम्बरशिप इक्जामिनेशन में उत्तीर्ण होना चाहिए। या ५. सिविल या इंजीनियरिंग में कोई अर्हता जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त हो जिसके आधार पर अभ्यर्थी उक्त इंस्टीट्यूट की एसोसिएट मेम्बरशिप इक्जामिनेशन के सेक्शन 'ए', 'बी' और "सी" से मुक्त हो। या ६. किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्था या किसी परीक्षण निकाय की ओवरसियर/अवर अभियन्ता का डिप्लोमा और किसी (जिला परिषद) या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संगठन में ओवरसियर/अवर अभियन्ता या कम्प्यूटर के रूप में कम से कम १० वर्ष की सेवा की हो। आयुसीमा- २१ से ४० वर्ष। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमत्य होगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, ३०प्र० (एलोपैथी)

८८ (अटठसी) पद सहायक आचार्य (विभिन्न विशिष्टता), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, आरक्षण- क्रमांक-७ में तालिकानुसार, वेतनमान- एकेडमिक लेवल-११, प्रारम्भिक वेतन रु. ६८९००/-, आयुसीमा- २६ से ४० वर्ष, विशिष्टावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नतः है:-

क्र. सं.	पद/विशिष्टता का नाम सहायक आचार्य	कुल पद	अनारक्षित वर्ग	अ० पिछड़े वर्ग	अ० अनु० जाति	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई०डल्प्य००८०)	विभाग संख्या
१	एस०पी०८० (कम्युनिटी मेडिसिन)	८	५	३	०	--	S-८/१४
२	एनेस्थीसियोलॉजी	१०	५	४	०	०१	S-८/१५
३	आब्स. एवं गायनी.	३	१	२	०	--	S-८/१६
४	स्किन एण्ड बी०डी०	३	२	०	१	--	S-८/१७
५	आप्थलमोलॉजी	१	०	१	०	--	S-८/१८
६	सामान्य मेडिसिन	१४	७	३	३	०१	S-८/१९
७	ए००००८००००००० (आब्स एवं गायनी)	२	२	०	०	--	S-८/२०
८	रेडियोडायग्नोसिस	६	५	०	१	--	S-८/२१
९	ई००००१००० (आटो-राइनो-लाइरिंगोलॉजी)	३	२	१	०	--	S-८/२२
१०	सामान्य सर्जरी	१०	४	३	२	०१	S-८/२३
११	पैथालॉजी	३	१	१	१	--	S-८/२४
१२	टी०बी० एण्ड चेस्ट	४	२	१	१	--	S-८/२५
१३	फोरेंसिक मेडिसिन	१	०	०	१	--	S-८/२६
१४	रेडियोथेरेपी	१	१	०	०	--	S-८/२७
१५	डेनिस्ट्री	१	०	१	०	--	S-८/२८
१६	न्यूरो सर्जरी	१	१	०	०	--	S-८/२९
१७	आर्थोपेडिक्स	२	१	१	०	--	S-८/३०
१८	साइकियाट्री	३	२	०	१	--	S-८/३१
१९	लड बैंक	३	३	०	०	--	S-८/३२
२०	कार्डियोलॉजी	१	१	०	०	--	S-८/३३
२१	एपीडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य	१	१	०	०	--	S-८/३४
२२	फार्माकोलॉजी	३	३	०	०	--	S-८/३५
२३	एनाटोमी	१	१	०	०	--	S-८/३६
२४	फिजियोलॉजी	२	१	०	१	--	S-८/३७
२५	माइक्रोबायोलॉजी	१	१	०	०	--	S-८/३८
	योग	८८	५२	२१	१२	०३	

अनिवार्य अर्हताएं :- क्र.सं.- ०१ : सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन (क) एम०डी० (एस०पी०८०) /एम०डी० (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-०२ : सहायक आचार्य (एनेस्थीसियोलॉजी) (क)

M.D. (Anesthesiology)/M.S. (Anesthesiology) अथवा एम०सी००३०१००५० (एस०पी०८०) /एम०डी० (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-०३ : सहायक आचार्य (डेनिस्ट्री) (क) संबंधित विशिष्टता में मान्यता प्राप्त परास्तानातक डिप्री) (एम०डी००८०) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-०४ : सहायक आचार्य (एनेस्थीसियोलॉजी) (क) एम०सी००३०१००५० (एस०पी०८०) /एम०डी० (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-०५ : सहायक आचार्य (आर्थोपेडिक्स) (क) एम०एस० (आर्थोपेडिक्स) अथवा एम०सी००३०१००५० (एस०पी०८०) /एम०डी० (आर्थोपेडिक्स) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा

महाविद्य

मेडिकल संस्थान अधिनियम-1998 के तालिका-1 तथा तालिका-2 में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित, अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009 और 03.11.2010 में उल्लिखित है, के "शैक्षिक योग्यता" में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय:- "डी०एन०बी० (ब्राइड/सुपर स्पेशलिटी)" नोट नं- 2 :- (i) एम०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम०डी०/एम०एस० की उपाधि। "किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में संबंधित विषय में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव।" (ii) एम०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी०एन०बी० योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ कोई एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम नहीं चल रहे हैं :- "डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करने समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव धारित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से संबंधित विषय में एक वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक/शोध अनुभव की आवश्यकता होगी।" (iii) एम०सी०आई० से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी०एन०बी० अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ एम०डी०/एम०एस० कोर्स चल रहे हैं:- डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करने समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (iv) एम०सी०आई० से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों के अलावा अन्य केन्द्रों से डी०एन०बी० योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में :- "डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करने समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव।" एम०सी०आई० से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/केन्द्रीय संस्थान में सीनियर रेजीडेन्ट/रिसर्च एसोसिएट (सी०एस०आई०आर०) के रूप में 02 वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक अनुभव की आवश्यकता होगी।" एम०सी०आई० के अलावा अन्य केन्द्रों से डी०एन०बी० योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ एम०डी०/एम०एस० कोर्स चल रहे हैं:- डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करने समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (v) एम०सी०आई० से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों के संबंध में :- "डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करने समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव।" नोट नं-3 :- (i) एम०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम०डी०/एम०एस० उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए:- किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि के समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (ii) डी०एन०बी० ब्राइड स्पेशलिटी के साथ एम०डी०/एम०एस० तथा डी०एन०बी० (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी०एम०/एम०सी०एच० की समकक्षता के संबंध में:- (क) जिन अभ्यर्थियों ने डी०एन०बी० प्रशिक्षण किसी संस्थान से प्राप्त किया है तथा वहाँ एम०सी०आई० से मान्यता प्राप्त स्तानकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनकी डी०एन०बी० अर्हता एम०सी०आई० की मान्यता के समान माना जायेगा। (ख) जिन अभ्यर्थियों ने डी०एन०बी० प्रशिक्षण कम से कम 500 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी शैक्षिक अस्पताल से किया हो, तथा वह संस्थान विभिन्न स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशलिटी शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो, जिसमें 03 में कम से कम एक डी०एन०बी० पर्यवेक्षक (अध्यापक) अर्ह होंगे जो एम०सी०आई० मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर अर्हता धारित किये हों तथा शेष बचे हुये 02 में से एक को स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में एम०सी०आई० के अनुसार निम्नवत् अर्हता धारित करनी चाहिए:-

स्नातकोत्तर ब्राइड स्पेशलिटी को (30 बेंड प्रति यूनिट) 50% बेंड स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी को (20 बेंड प्रति यूनिट) अध्यापन हेतु उक्त योग्यतायें एम०सी०आई० मान्यता प्राप्त अर्हता के समकक्ष होंगी।

(3) डी०एम०/एम०सी०एच० के साथ एम०डी०/एम०एस० और डी०एन०बी० (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी०एन०बी० (ब्राइड स्पेशलिटी) की योग्यता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण। जिन अभ्यर्थियों ने उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अन्य अस्पताल/संस्थान में डी०एन०बी० प्रशिक्षण (दोनों ब्राइड स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी) प्राप्त किये हैं वे एक वर्ष अतिरिक्त सीनियर रेजीडेन्ट या समकक्ष प्रशिक्षण या शोध कार्य से एम०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान से अर्हता धारित किया हो बशर्ते कि ऐसी अर्हता स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अधिनियम 2000 में अधिसूचित की गयी हो। परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने के बाद) न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले एम०सी०आई० अस्पतालों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए अपेक्षित अनुभव न्यूनतम 06 वर्ष होगा। उन्हें मेडिकल कालेज में शामिल होने के बाद इस तरह के सलाहकार या विशेषज्ञ को सहायक आचार्य के रूप में माना जायेगा। नोट नं-4 :- विभिन्न ब्राइड/सुपर स्पेशलिटी संबंधी विशिष्टताओं में विहित अनिवार्य अर्हतायें शासन के पत्र संख्या- 2842/71-1-2017-जी०-227/2010, दिनांक 12.09.2017 में संलग्न एम०सी०आई० रेगुलेशन 08 जून, 2017 के अनुसार उल्लिखित की गयी हैं। अन्य सामान्य नोट:- (1) क्र.सं- 22, 23, 24 एवं 25 पर उल्लिखित सहायक आचार्य-फार्मार्कोलाजी, एनाटमी, फिजियोलाजी तथा माइक्रोबायलोजी पद हेतु नान मेडिकल के पदों के लिए सम्बन्धित विषय में मेडिकल एम.एस.सी. अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वर्णित चारों पदों में मेडिकल तथा नान-मेडिकल के पद शासन द्वारा विभाजित नहीं किये जाने के कारण मेडिकल तथा नान-मेडिकल के पद दर्शाये नहीं गये हैं। शासन द्वारा बाद में मेडिकल/नान-मेडिकल के पदों को चिह्नित करने के उपरान्त ही उक्तानुसार क्रमांक- 22, 23, 24 एवं 25 पर चयन की कार्यवाही की जायेगी। (2) क्षेत्रिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के पद उपलब्ध होने पर O.L. (One Leg Affected Right or Left) एवं P.B. (Partially Blind) श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। (3) अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम.सी.आई से होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (4) सीनियर रेजीडेन्ट पद का अनुभव अभ्यर्थी द्वारा 40 वर्ष की आयु तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

सामान्य अनुदेश
आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 01-10-2020
आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि : 05-10-2020

1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

4. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2020 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुपल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) तथा उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उ०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। इसी प्रकार उ०प्र० बेसिक विज्ञापन परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति शासनादेश संख्या- 1648 / 79-5-2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्रविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ०प्र० राज्य कर्मचारियों की भाँति प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जिनके लिये शासनादेश दिनांक 13.01.2011 के अनुसार पद चिन्हांकित है।

5. आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दन परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (विस्तृत विज्ञापन) आयोजित किये जाने की विधि में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये अपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होती है।

(I) प्रत्येक प्रब्ल के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रब्ल के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रब्ल हेतु नियत किये गये अंकों का 1 / 3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(II) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उ

<p>से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।</p> <p>18. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा website पर "Contact Us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।</p> <p>19. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।</p> <p>20. नोट:- शासन के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।</p> <p>परिशिष्ट-1: फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।</p> <p>Detailed Application Form:</p> <p>At the top of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.</p> <p>Notification Details</p> <p>This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name</p> <p>Personnel Details</p> <p>This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.</p> <p>Other Details of candidate</p> <p>Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges</p> <p>Education & Experience Details</p> <p>It shows your educational and experience details</p> <p>Candidate address, photo & signature details</p> <p>Here you will see your complete communication address and photo with your signature.</p> <p>Declaration segment</p> <p>At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.</p> <p>After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.</p> <p>Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.</p> <p>Otherwise using "Back" button option you can modify your details.</p> <p>[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]</p> <p>For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website http://uppsc.up.nic.in in CANDIDATE SEGMENT</p> <p>CANDIDATE SEGMENT</p> <p>:-NOTIFICATIONS / ADVTS.</p> <p>All Notification / Advertisements</p> <p>:-ONLINE FORM SUBMISSION</p> <p>1. Candidate Registration 2. Fee Deposition /Reconciliation 3. Submit Application Form</p> <p>:-APPLICATION FORM STATUS</p> <p>Update your transaction ID by Double Verification mode</p> <p>View Application Status</p> <p>List of Applications Having photo related Objections</p> <p>Print Duplicate Registration Slip</p> <p>Print Detailed Application Form</p> <p>:-EXAMINATION SEGMENT</p> <p>Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment]</p> <p>:-DOWNLOAD SEGMENT</p> <p>Download Document of Verification for this Examination Download Admit Card</p>	<p>Download Interview Letter : After Examination Download Interview Letter : Direct Recruitment Download Syllabus Know your Registration No. Click here to view Key Answer Sheet Latest Tenders</p> <p>LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.</p> <p>Appendix-1</p> <p>The Procedure relating to upload Photo & Signature.</p> <p>Guide Lines for Scanning Photograph with Signature</p> <ol style="list-style-type: none"> Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in * .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, colours etc., during the process of scanning. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified. <p>Sample Image & Signature :-</p> <p style="text-align: center;">परिशिष्ट</p> <p>उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।</p> <p>श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक पूरा नाम..... मुहर पद नाम.....</p> <p>जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।</p> <p>NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL</p> <p>ANNEXURE</p> <p>Certificate No. Date</p> <p>DISABILITY CERTIFICATE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board</p> </div> <p>This is to certified that Shri/Smt/Kum..... son/wife/daughter of Shriage..... Sex identification mark(c) is suffering from permanent disability of following category.</p> <p>A. Locomotor or cerebral palsy:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) BL-Both legs affected but not arms. (ii) BA-Both arms affected <ul style="list-style-type: none"> (a) Impaired reach (b) Weakness or grip (iii)BLA-Both legs and both arms affected (iv)OL-One leg affected (right or left) <ul style="list-style-type: none"> (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (v) OA-One arm affected <ul style="list-style-type: none"> (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (vi)BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood) (vii)MW- Muscular weakness and limited physical endurance <p>B. Blindness or Low Vision:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) B-Blind (ii) PB-Partially Blind <p>C. Hearing impairment:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) D-Deaf (ii) PD-Partially Deaf <p>(Delete the category whichever is not applicable)</p> <p>2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of years months.*</p> <p>3. Percentage of disability in his/her case is percent.</p> <p>4. Sh./Smt/Kum meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:</p> <ul style="list-style-type: none"> (I) F-can perform work by manipulating with fingers Yes/No (II) PP-can perform work by pulling & pushing Yes/No (III) L-can perform work by lifting Yes/No
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes/No	प्रारूप - 1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
(v) B-can perform work by bending	Yes/No	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
(vi) S-can perform work by sitting	Yes/No	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर प्रारूप - 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
(vii) ST-can perform work by standing	Yes/No	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
(viii) W-can perform work by walking	Yes/No	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
(ix) SE-can perform work by seeing	Yes/No	
(x) H-can perform work by hearing/speaking	Yes/No	
(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No	
(Dr.) (Dr.) (Dr.)		
Member Member Chairperson		
Medical Board Medical Board Medical Board		
Countersigned by the Medical Superintendent/ CMO/Head of Hospital		
(with seal)		
* Strike out which is not applicable		
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सेनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रपत्र।		
प्रमाण—पत्र		
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती		
निवासी ग्राम— नगर— जिला—		
..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सेनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।		
स्थान: हस्ताक्षर		
दिनांक: पूरा नाम		
पदनाम		
मुहर		
जिलाधिकारी (सील)		
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं		
शासनादेश संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985		
प्रमाण—पत्र के फार्म — 1 से 4		